steps to combat and frustrate such objectives by gearing up the intelligence machinery, sharing of intelligence and carrying out action by the concerned central and state agencies.

Formation of Uttarakhand

780. SHRI GAYA SINGH:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps with regard to the formation of the proposed new State of Uttarakhand; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) A draft Bill has been prepared providing for reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh and creation of a new State of Uttaranchal.

Infiltration by Bangladeshis in Malkangiri

781. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increasing infiltration of Bangladeshi Nationals into Malkangiri district of Orissa;

(b) if so, the steps taken to stop their infiltration; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

द्विभाषी कम्प्यूटर के माध्यम से पत्राचार

782. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के किन-किन कार्यालयों में द्विभाषी कम्प्यूटर के माध्यम से पत्राचार करने के निर्देश दिए गए हैं;

(ख) इनमें से किन विभागों तथा कार्यालयों में द्विभाषी कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं;

(ग) गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा इन कम्प्यूटरों के माध्यम से कितने प्रतिशत पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए हैं; और

(घ) हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा शासकीय पत्राचार के संबंध में पत्राचार और शसकीय कार्य में केवल हिन्दी में पत्राचार करने के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) संघ सरकार के आदेशों का प्रचालन द्विभाषी रूप में करने या पत्राचार हिन्दी में करने के आदेश तो हैं, परन्तु कम्प्यूटर के माध्यम से पत्राचार केवल हिन्दी में करने के लिए कोई अलग जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) भारत सरकार के अधिकांश विभागों तथा कार्यालयों के कम्प्यूटरों में द्विभाषी कार्यक्षमता के साफ्टवेअर उपलब्ध हैं।

(ग) यह सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

(घ) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से हिन्दी भाषी राज्यों या संघशासित क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों या व्यक्तियों को पत्र हिन्दी में भेजे जाने का प्रावधान राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3(1) में किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में यदि अंग्रेजी में पत्रादि भेजे जाते हैं तो उनका हिन्दी अनुवाद भी साथ ही भेजा जाना अपेक्षित है। इसके संदर्भ में प्रतिवर्ष जारी होने वाले कार्यक्रमों में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों आदि से हिन्दी भाषी राज्यों और व्यक्तियों के साथ शतप्रतिशत पत्राचार हिन्दी में ही करना नियत किया गया है। सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी कार्यालयों आदि के अध्यक्षों का यह दायित्व है कि वे राजभाषा नियमों आदि का पालन करवाएं और वार्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करें।

Registration of Births and Deaths

783. PROF. RAM KAPSE:
SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether all births and deaths in the country are registered with the Registrars of Births and Deaths;

(b) if not, the reasons there for and the present level of registration; and

(c) the steps taken to ensure that all births and deaths are registered in future?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) No, Sir.